फैक्स/मेल

संख्याः 285 /छः-पु0-8-17-905(34)/2016

प्रेषक,

अरविन्द कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक,
फायर सर्विस मुख्यालय,
उ0प्र0, लखनऊ।

गृह (पुलिस) अनुभाग-8 लखनऊः दिनांक 19 फरवरी, 2018

विषयः अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में अग्निशमन अधिकारियों का प्रशिक्षण

महोदय,

रिट याचिका संख्या-1036 (एम0बी0) पीआईएल/2016 नेशनल एलायन्स ऑफ पीपुल्स मूवमेण्ट्स व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ, बेन्च, लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.02.2017 के अनुपालन में अग्नि एवं जीव सुरक्षा से सम्बन्धित अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं अन्य प्रक्रिया से सम्बन्धित निर्गत शासनादेश संख्या-1765/छ:पु0-8-2017-905(34)/2016 दिनांक 16 फरवरी, 2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अग्निशमन एवं जीव सुरक्षा सम्बन्धी विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2. इस सम्बन्ध में मुझे कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त शासनादेश में वर्णित व्यवस्थाओं को गुणवत्तापूर्वक एवं समयान्तर्गत सफलता पूर्वक क्रियान्वित किंये जाने हेतु यह आवश्यक है कि अग्निशमन सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण-पत्र से जुड़े अधिकारियों की व्यवसायिक दक्षता बनाये रखने के लिए नियमित अन्तराल पर उनका प्रशिक्षण कराया जाये एवं अग्निशमन सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने तकनीकि विषयों पर एक मैनुअल भी बनाकर वेबसाइट पर अपलोड किया जाये।

3. अत: इस हेतु निदेशक अग्निशमन सेवा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाये, जो नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया, 2016 के भाग-4 में निर्धारित मापदण्डों, उ0प्र0 अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा नियमावली, 2005 के द्वारा निर्धारित मापदण्ड, भवन निर्माण एवं विकास उपविधि एवं विद्यमान अधिनियमों, नियमों व शासनादेशों के अनुसार मानचित्र अनुमोदन हेतु आवश्यक औपबन्धिक अनापत्ति प्रमाण-पत्र, निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त आवश्यक अग्नि एवं जीवन सुरक्षा प्रमाण-पत्र तथा नवीनीकरण प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु एक मैनुअल तैयार करायेगी। इस समिति में अग्निशमन सुरक्षा से जुड़े विशेषज्ञों तथा अग्निशमन सेवा के अधिकारियों/ कर्मचारियों को रखा जाये। उक्त समिति द्वारा विभिन्न मानकों के आधार पर अग्निशमन उपकरणों की आवश्यकता तथा मानचित्रों का परीक्षण करते समय एवं निरीक्षण के समय मानकों के अनुसार ध्यान देने योग्य बिन्दुओं को सम्मिलित करते हुए इस विषयक के सम्बन्ध में एक समग्र मैनुअल तैयार कराया जायेगा, जो अनापत्ति प्रमाण-पत्र से सम्बन्धित सभी अग्निशमन अधिकारियों को उपलब्ध करायी जायेगी तथा

वेबसाइट पर अपलोड की जायेगी। इस मैनुअल में अनापत्ति प्रमाण-पत्र के तकनीकी पहलुओं को ही सम्मिलित किया जायेगा तथा इसमें प्रशासनिक पहलुओं पर कोई टिप्पणी नहीं की जायेगी। इसके पश्चात भी यदि किसी भवन विशेष में कोई ऐसी तकनीकी जटिलता प्रकट होती है, जो मैनुअल में उल्लिखित नहीं है, तो निर्गमन प्राधिकारी इस सम्बन्ध में समाधान समिति से मार्गदर्शन / दिशा निर्देश प्राप्त कर सकेगें। यह भी अपेक्षा की जाती है कि भविष्य में समय-समय पर परिवर्तित होने वाली तकनीक, नियम / विनियम एवं विधि को मैनुअल में समय-समय पर समाहित किया जाय।

4- अत: आपसे अपेक्षा की जाती है उपर्यक्त निर्देशों के कम में तत्काल कार्यवाही प्रारम्भ कराने एवं सभी सम्बन्धित अधिकारियों को प्रशिक्षण हेतु यथा आवश्यक निर्देश अपने स्तर से भी जारी करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अरविन्द कुमार)
प्रमुख सचिव।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, संस्थागत वित्त एवं कर निबन्धन, विभाग।
2. प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास, उ0प्र0 शासन
3. प्रमुख सचिव, नगर विकास, उ0प्र0 शासन।
4. प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन, उ0प्र0 शासन।
5. पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
6. समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उ0प्र0।
7. आवास आयुक्त उ0प्र0, आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ / समस्त उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।
8. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0।
9. मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जय वीर सिंह)
अनु सचिव।